

खरीफ बीज का परिवार, समुदाय स्तर पर संरक्षण एवं रबी फसलों का बीजोपचार



प्यारे किसान भाइयों-बहनो, प्यारे बच्चों, संगठन पदाधिकारी एवं स्वराज साथियों जय गुरु ! हमने हाल ही में दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया है। इस महिने की शुरुआत चौथे के लड्डुओं से प्रारम्भ हो जाती है और इस त्यौहार के साथ ही हम सभी खेती के कामों में व्यस्त हो जायेंगे तो आप सभी को खेती की नई फसल के लिए पुनः शुभकामनाएं। बारह महीने इस त्यौहार के हिसाब से दीपावली के बाद हम ये मानते कि हमारे लिए पूरा साल बहुत महत्वपूर्ण होता है तो पूरे वर्ष के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

साथियों, मैं बहुत अलग-अलग बातें नहीं करके विशेष रूप से एक चर्चा करना चाहूंगा, पिछले दिनों मेरा कुशलगाढ़ क्षेत्र के एक गांव में जाना हुआ जहां पर हिरमा खेती की जाती है और जब किसानों से रूबरू हुआ तो पता चला कि किस प्रकार से बिना पानी की खेती होती है और उस अनाज का महत्व, उसके स्वाद एवं उपज का महत्व ये सब जानने-देखने का अवसर मिला, उसके पश्चात मैंने अन्य कई किसानों से अलग-अलग जगह पर बात की तो सभी ने बताया कि, हमारे गांव में कुछ खेत है, जहाँ पर हिरमा खेती होती है। माही और अनास की तलहटी में हिरमा खेती की जाती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तालाब के पेटे में हिरमा खेती करते हैं। तो सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि हिरमा खेती होती है या करते हैं, उससे ज्यादा हिरमा खेती कैसे होती है, क्यों होती है उसका विज्ञान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब वैज्ञानिकों से चर्चा की तो बताया गया कि लोगों की बात बिल्कुल सही है, अगर उस खेत को एक बार पानी पिला दिया जाता है तो शायद फसल खराब हो जाती है। चने जल जाते हैं, गेहूँ की उपज कम हो जाती है और यह शुद्ध रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है।

मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से चर्चा में पूछा हिरमा खेती क्या है? उन्होंने हंसते हुए कहा कि पहले तो हमारा सारा कृषि तंत्र ही हिरमा हुआ करता था। वर्षा आधारित खेती करते थे और कुछ ऐसे खेत होते थे जिनको बरसात के बाद बहुत समय तक सूखने में समय लगता था, फिर उस खेत की पांच से सात बार जुताई करके, बीजों की बुवाई न करके केवल छटाई कर देते फिर हमाड़ा घुमा देते हैं जिससे बहुत अच्छी फसल होती थी, उनका मानना था कि हम लोगों ने जिस प्रकार से समय के साथ-साथ हमारे पानी और मिट्टी का ध्यान रखना छोड़ दिया वैसे-वैसे हमारे खेत खराब होते गए, पानी गहराई में जाता गया और हमें सिंचाई करके खेती करनी पड़ रही है। इस बात को मैंने बहुत गहराई से सोचा तो एक बात बहुत साफ निकलकर आती है कि हिरमा खेती शुद्ध रूप से प्रकृति की जाने वाली खेती है। प्रकृति स्वयं सिंचाई व मिट्टी की सुरक्षा करती है, उसमें किसी प्रकार के उर्वरक, खाद की जरूरत नहीं होती है उसके लिए जो उत्पादन होता है वह शुद्ध रूप से प्रकृति का प्रसाद है।

मैं आपके पास यह चर्चा इसलिए लेकर आया हूँ। हम सोचें कि हमने किस प्रकार से हमारी खेती और प्रकृति के तंत्र का क्षरण किया है, क्यों यह रकबा कम होता जा रहा है? हमें ज्यादा से ज्यादा समझना होगा और अगर हमारे पास हमारे परिवारों में, गांवों में ऐसे खेत आज भी उपलब्ध हो सके, तो हमें इन्हें बचा करके पुनः हिरमा खेती की ओर जाना चाहिए, भले ही हम 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चने की खेती करें। परंतु हमें प्रायोगिक तौर पर भी यह करना चाहिए। विशेष रूप से मैं इसके अलावा आपसे कहना चाहूंगा कि इस माह वाग्धारा पद यात्रा के माध्यम से अलग-अलग गांवों में, संगठनों में हम सभी लोग संवाद के लिए जाएंगे और हमारा संवाद का विषय -हमे ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और पर्यावरण कि जरूरत है। हमें यह सोचना होगा कि हमारी ऊर्जा के कितने प्रकार हैं और कहां से पूरे हो रहे हैं, उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मैं कई बार संवाद के द्वारा आप तक ये बात लेकर आया हूँ कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें हमारी निर्भरता को समाप्त करना है, चाहे वह खाने की हो, हमारी खेती की हो या वह हमारे विचारों की हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सोचना होगा कि हमारे क्या तरीके हैं जिन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं। आप सभी से मैं यह आग्रह करना चाहूंगा इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुँचायें चर्चा को मजबूत करें और मजबूती से रखें।

जय- गुरु, जय- स्वराज !!!

आपका अपना
जयेश जोशी



राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के किसान विशेषकर आदिवासी किसानों की आजीविका का मुख्य आधार खेती और पशुपालन रहा है। बीज प्रकृति की अनमोल धरोहर है जिस पर खेती की बुनियाद टीकी है। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने बाली, फल, फली व कंदमूल आदि को बड़े परिश्रम से जाँच परख कर खाने योग्य बनाने की तकनीक विकसित की है। उनके ही परिश्रम से खेती, किसानी और पशुपालन की संस्कृति का जन्म हुआ है। बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों को पहचानकर उन्हें वर्षभर सुरक्षित रखने के तरीकों का विकास हुआ। हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा पीढ़ियों से बीजों का संरक्षण किया जा रहा है और यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी बन गया है बीजों को पहचानने और उन्हें संरक्षित करने का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है, बढ़ते बाजारवाद के बावजूद समुदाय आज भी अपने परंपरागत ज्ञान को संजोकर रखे है और यह ज्ञान बीज स्वराज के रूप में विकसित हुआ है। यह हमारे क्षेत्र के आदिवासी किसानों की संस्कृति ही है जिन्होंने सैकड़ों प्रकार के बीजों को सहेजा है बल्कि बीजों को हमेशा संरक्षित रखने के लिए बीज संरक्षण की विभिन्न तकनीकें भी विकसित की है। परन्तु बढ़ते बाजारवाद के कारण संकर बीजों का चलन प्रारंभ हुआ। साथ-साथ ही अन्य आदानों जैसे सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर खर्च भी बढ़ता गया जिससे किसान लालच में आकर एक ओर कर्ज के जाल में फंस गया तो दूसरी ओर खेत की मिट्टी और पानी भी विषैला होता गया।

ऐसी परिस्थितियों में हमें पुनः अपने स्थानीय और गुणों से भरपूर देशी बीजों को संरक्षित करना होगा। यह कार्य हम आज से और अभी से कर सकते हैं। हाल ही में हम सभी ने खरीफ फसल के रूप में मक्का, उड़द, चवला, अरहर, मूंगफली, तिल, काग, रागी, कुरी, समा, चीना आदि उत्पादित की है। फसल की गहाई और उड़ाई के बाद प्राप्त हुए बीजों की प्रेडिंग कर ले और समान आकार, प्रकार, रंग और बिना किसी कीट या रोग से ग्रसित बीजों को लेकर विभिन्न पद्धतियों के माध्यम अपनाकर संगृहीत करते हैं।

1. **मटके में संग्रहण:** विभिन्न प्रकार की दालें जैसे उड़द, मूंग, चना, तुआर, झालर, तिलहन जैसे बीज जो अनाज की अपेक्षा कम मात्रा में लगते हैं उन्हें अलग-अलग आकार के मटके में रखते हैं। मटके में बीज को रखने से पहले धूप में सुखा लेते हैं इससे किसी भी प्रकार की नमी या फिर कीट नहीं लगते हैं। सरक्षित किये जाने वाले बीजों को भी धूप में सुखाते हैं और उसके बाद बीजों को राख में मिलाकर मटके में भर देते हैं और अंत में मटके के उपरी भाग को गोबर और मिट्टी के मिश्रण से लीप कर पैक कर देते हैं। जब भी बुवाई करना होती है या बीज की आवश्यकता होती है तब उपरी भाग को हटाकर बीज लेते हैं। इस प्रकार 2 से 3 वर्ष तक बीज सुरक्षित रहता है।

2. **फल को साबुत लटकाकर:** कुछ फसल जैसे लोकी, तुई, झुमकी आदि के बीजों को उनके पके हुए फलों में ही ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी प्रकार पकी हुई लोकी को सुखाकर उसका गुदा निकालकर उसे खोखला कर देते हैं और फिर अच्छे से साफ करके उसमें अन्य सब्जी प्रजाति के बीजों को भरकर कपड़े से बंद करते हैं और उसके ऊपर गोबर व गोमूत्र का लेप कर देते हैं। इससे बीज सुरक्षित रहता है।

3. **फलीदार सब्जियों के बीजों** जैसे बैंगन, लोबिया, मक्का आदि के बीजों के संरक्षण के लिए उसकी गुच्छी बनाकर किसी ऐसी जगह टांग देना चाहिए जहाँ धूप व हवा लगती रहे परन्तु बारिश से बचाव हो सके।

4. **प्याज और लहसुन के बीजों को** सहेजकर



रखने के लिए इनकी गट्टियां बांधकर इन्हें हवादार परन्तु अँधेरे कमरे में टांगने से सुरक्षित रहते हैं।

5. सरसों और अरंडी के तेल का प्रयोग भी इसी तरह के बीजों को सुरक्षित रखने के उपयुक्त होते हैं। इसके लिए बीजों को तेल के साथ तब तक मिलाते हैं जब तक की बीज तेल से चमकने न लग जायें।

6. अदरक, हल्दी, अरबी, मुसली आदि को बीज के लिए सहेजने के लिए खेत के एक कोने में गड्डा खोदकर उसमें बीज रखकर घास फूस से ढक देते हैं।

7. **सागवान या टिक के पत्ते पर बीजों को चिपकाकर:** जिन फलों में चिकनाई होती है जैसे टमाटर, ककड़ी आदि के बीजों को सागवान के पत्ते पर छिड़क देते हैं यह बीज पत्ते पर चिपक जाते हैं। इन पत्तों को किसी ऊँचे स्थान पर लटककर रख दिया जाता है। जब अगले सीजन में बीज की जरूरत होती है तो पत्ते को गड़कर बीजों को निकाल सकते हैं और बुवाई कर सकते हैं। इससे बीज हमेशा सुरक्षित रहता है।

सभी प्रकार से बीज संरक्षण करने से घर पर ही शुद्ध देशी बीज उपलब्ध हो जाता है। इन तरीकों को अपनाते से बीज में किसी प्रकार का कीट नहीं लगता है। बाजार से बीज लाने की जरूरत नहीं पड़ती है बीजों के मामले में स्वनिर्भरता आती है।

रबी फसलों का बीजोपचार

वर्तमान में हमारे किसान भाई-बहन रबी फसल की बुवाई का काम करने जा रहे हैं जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मक्का, मटर, मसूर आदि की फसलें प्रमुख रूप से लगाई जाती हैं। रबी की फसल की बुवाई से पहले उनका बीजोपचार करना बहुत ही जरूरी है। बीजोपचार के लिए हमारे आस-पास उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके बीजोपचार कर सकते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल होता है और हमें लम्बे समय तक लाभ प्रदान करता है। बीजोपचार से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है:



1. **रोग नियंत्रण:** ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, एजोस्परिलम आदि से बीजोपचार करने पर

बीज में फफूंद और जीवाणुओं से होने वाले रोग नहीं लगते हैं। यह बीज की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं और पौधों को स्वस्थ रखते हैं।

2. **बीज अंकुरण में वृद्धि:** बीजोपचार करने से बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ती है। वे जल्दी अंकुरित होते हैं। जिससे पौधे स्वस्थ और मजबूत होते हैं।

3. **मिट्टी की उर्वरता में सुधार:** बीजोपचार करने से मिट्टी में लाभकारी छोटे-छोटे जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और मिट्टी उपजाऊ बनती है।

4. **लागत में कमी:** जैविक बीजोपचार के लिए जरूरी सारी सामग्री घर पर ही मिल जाती है एवं इससे बीजोपचार आसानी से किया जा सकता है। रासायनिक बीजोपचार की तुलना में ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम आदि का प्रयोग करके कम लागत में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

5. **दीर्घकालिक लाभ:** जैविक तरीके से बीजोपचार करने पर पौधों की रोगों से लड़ने की क्षमता लम्बे समय तक के लिए बढ़ती है। इससे फसल उत्पादन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है।

6. **पौधों को पोषक तत्वों की बेहतर उपलब्धता:** बीजोपचार के दौरान उपयोग किए गए सूक्ष्मजीव पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और पोटेशियम। इससे पौधों की वृद्धि में सुधार होता है और उन्हें आवश्यक तत्व आसानी से मिल जाते हैं।

7. **मिट्टी की सेहत में सुधार:** जैविक विधि से बीजोपचार करने पर मिट्टी में लाभदायी जीवाणुओं की गतिविधि को बढ़ावा मिलता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जैविक विधि से बीजोपचार करने के बहुत से लाभ होते हैं और यह पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि फसल की गुणवत्ता और पोषण स्तर भी बढ़ता है, जो हमारे और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक होता है।

आइये रबी की विभिन्न फसलों में बीजोपचार कैसे होता है यह जानते हैं:-

गेहूँ/मक्का/जौ की बीजोपचार विधि:

- ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार:** ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदनाशी है जो गेहूँ के बीजों को फफूंद जनित रोगों से बचाता है। सबसे पहले गेहूँ के बीजों को साफ कर लें ताकि धूल और गंदगी हट जाए। गेहूँ को सबसे पहले पानी में भिगो लें और फिर पानी में से निकालकर बीजों पर ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाएं। सभी बीजों पर पाउडर इस तरह से मिलाना है कि सभी बीजों पर पाउडर की एक पतली परत बन जाए। इसके बाद बीजों को छाया में 30 मिनट तक सुखाएं और फिर बुवाई करें।

- एजोस्परिलम से बीजोपचार:** एजोस्परिलम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। दस किलो गेहूँ के बीज के लिए 200 ग्राम एजोस्परिलम लें। गेहूँ को सबसे पहले पानी में भिगो लें और फिर 200 ग्राम एजोस्परिलम के साथ मिलाएं ताकि सभी बीजों पर इसकी एक पतली परत बन जाए। इसके बाद बीजों को छाया में 30 मिनट तक सुखाएं और फिर बुवाई करें।
- फॉस्फोबैक्टिरिया से बीजोपचार:** यह बैक्टीरिया फॉस्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है।

- 10 किलो गेहूँ के बीज के लिए 200 ग्राम फॉस्फोबैक्टिरिया उपयोग करें।
- बीजों को उपचारित करके उन्हें 30 मिनट तक छाया में सुखाएं और फिर बुवाई करें।

सावधानी: हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बीजों को उपचारित करने के बाद 24 घंटे के भीतर बुवाई कर देनी चाहिए।

चना/मटर/मसूर की बीजोपचार विधि:

- राइजोबियम (Rhizobium) कल्चर से बीजोपचार:** राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, मसूर के पौधों की जड़ों में रहने वाले गांठों के माध्यम से नाइट्रोजन को स्थिर करता है।

- 10 किलो दलहनी बीज (चना, मटर, मसूर) के लिए 50 ग्राम राइजोबियम कल्चर उपयोग करें।
- बीजों को पानी से भिगोकर राइजोबियम कल्चर के साथ मिलाएं ताकि सभी बीजों पर इस बैक्टीरिया की परत लग जाए।
- बीजों को छाया में सुखाएं और 24 घंटे के भीतर बुवाई करें।

2. **पीएसबी (PSB) से बीजोपचार:** यह कल्चर मिट्टी में उपलब्ध फॉस्फोरस को घुलनशील बनाता है, जिससे पौधों को फॉस्फोरस की भरपूर मात्रा मिलती है।

- 10 किलो दलहनी बीज (चना, मटर, मसूर) के लिए 50 ग्राम पी एस बी कल्चर उपयोग करें।
- बीजों को पानी से भिगोकर पी। एस। बी कल्चर के साथ मिलाएं ताकि सभी बीजों पर इस बैक्टीरिया की परत लग जाए।
- बीजों को छाया में सुखाएं और 24 घंटे के भीतर बुवाई करें।

3. **ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार:** ट्राइकोडर्मा एक जैविक कवकनाशक है, जो बीजों को फफूंद से होने वाले रोगों से बचाता है।

- 10 किलो दलहनी बीज (चना, मटर, मसूर) के लिए 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर उपयोग करें।
- बीजों को पानी से भिगोकर ट्राइकोडर्मा पाउडर के साथ मिलाएं ताकि सभी बीजों पर इस बैक्टीरिया की परत लग जाए।
- बीजों को छाया में सुखाएं और 24 घंटे के भीतर बुवाई करें।

रबी फसलों के बीजों को बीजामृत से भी उपचारित किया जा सकता है।

- बीजामृत बनाने की विधि:** बुवाई करने से पहले बीजों का संस्कार अर्थात् संशोधन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बीजामृत बहुत ही उत्तम है।
- बीजामृत बनाने के लिए आवश्यक सामग्री :-**

- देशी गाय का गोबर 5 किग्रा**
- गोमूत्र 5 लीटर**
- चना 50 ग्राम**
- पानी 20 लीटर**
- खेत की मुट्टी भर मिट्टी**

बीजोपचार की विधि: 20 लीटर पानी को एक बर्तन में लेकर उसमें 5 लीटर गोमूत्र मिलाते हैं। फिर इसमें 5 किलो ग्राम गोबर, चूना तथा पेड़ के तल की मिट्टी मिलाकर अच्छी तरह से मिलाकर रख देते हैं। इस मिश्रण को 24 घंटे तक छाया में रखते हैं। फिर 100 किलो बीज को फर्श पर रखकर बीजामृत का छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव के बाद बीज को हाथ से अच्छी तरह से मिलाया जाता है ताकि बीजामृत की एक परत सभी बीजों पर चढ़ जाए।

उपयोग: बीजामृत से बीजों को उपचारित करने के बाद, बीजों को छाया में सुखा देना चाहिए तथा फिर बुवाई करना चाहिए। इस दौरान हमें यह सावधानी रखना है कि बीजोपचार के 24 घंटे होने से पहले बुवाई कर लेनी चाहिए।

आदिवासी क्षेत्र में प्रजनक बकरे एवं नस्ल सुधार

आदिवासी क्षेत्रों में प्रजनक (प्रजनक बकरा) वह बकरा होता है जिसे विशेष रूप से प्रजनन के लिए चुना जाता है। ये बकरें बेहतर आनुवंशिक गुणों, स्वास्थ्य और अन्य विशेषताओं के लिए चयनित होते हैं, ताकि उनकी संतानों में उच्च गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता हो।) बकरियों में नस्ल सुधार की प्रक्रिया न केवल स्थानीय कृषि प्रथाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समुदायों की आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। स्थानीय नस्लों, जो इन क्षेत्रों की जलवायु और पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हैं, उच्च प्रजनन क्षमता, रोग प्रतिरोधकता, और गुणवत्ता युक्त दूध और मांस उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। इन नस्लों का संरक्षण और सुधार स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए उत्पादन में वृद्धि और आय के नए अवसर प्रदान करता है। वागड़ क्षेत्र में आदिवासी समुदाय प्रमुख रूप से अपने परिवार की पोषण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति बकरी पालन से करते आ रहे हैं। बकरी उत्पादन बनाये रखने के लिए नियमित प्रजनन आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बकरी पालकों को प्रजनन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समुचित जानकारी

होना जरूरी है, जिससे बकरियों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाया जा सके। बकरों का सही चुनाव, बकरी पालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, प्रजनक बकरों का सही चुनाव एवं प्रबंधन से जुड़े मुख्य जानकारी:-

- सही प्रजनक बकरों का चुनाव :** नर बकरा दिखने में स्वस्थ, चुस्त व फुर्तीला हो, उसके दोनों अंडकोश पूर्ण विकसित व समान आकार के हो। नस्ल के अनुसार (6-12 माह) चयन कर उनकी आवश्यक खिलाई-पिलाई करें। नर को मादा से अलग रखें। प्राकृतिक गर्भधान के लिए एक प्रजनन योग्य बकरे से एक प्रजनन काल में अधिकतम 40-50 बकरियों को गाभिन कराया जाना चाहिये। प्रजनन हेतु बकरा (नर) में कई महत्वपूर्ण मानदंड होने चाहिए। इनमें से कुछ प्रमुख मानदंड निम्नलिखित हैं:
- नर बकरा का आकार और वजन उसकी नस्ल के अनुसार होना चाहिए। सामान्यतः स्वस्थ नर बकरों का वजन अधिक होना चाहिए।
 - बकरा स्वस्थ होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की बीमारी, जैसे कि प्रजनन संबंधी रोग या संक्रामक रोग नहीं होने चाहिए।
 - नर बकरों की प्रजनन क्षमता की जाँच की जानी चाहिए, जिसमें

- वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा शामिल है।
- बकरा प्रजनन के लिए उस विशेष नस्ल का होना चाहिए, जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं। इसकी नस्लीय विशेषताओं की जाँच की जानी चाहिए।
- नर बकरा का व्यवहार आक्रामक नहीं होना चाहिए। उसे अन्य बकरियों के प्रति सामाजिक और सक्रिय होना चाहिए।

बंध्याकरण

- नर बकरों को बरडिजो कैस्ट्रेटर (बरडिजो कैस्ट्रेटर में दो पिन होते हैं, जो बकरों के अंडकोष के आधार पर दबाव डालते हैं। यह रक्त प्रवाह को रोकता है, जिससे अंडकोष में रक्त संचार बंद हो जाता है) ये नसबंदी करवाना बंध्याकरण कहलाता है।
- कम उम्र के बकरे जिन्हें प्रजनन में शामिल नहीं किया जाना हो, उसे बंध्याकरण करवा दें या बेच दें।
- पत्थर या लकड़ी के उपयोग से किया जाने वाले बंध्याकरण से बचे।


बंध्याकरण से लाभ निम्नानुसार है:-

- झुंड में अनावश्यक प्रजनन को रोकता है।

- बकरे के मांस/ वजन में बढ़ोतरी होती है। जिससे अधिक कीमत मिलती है।
- नर बकरों की खास गंध से छुटकारा मिलता है।
- मांस की गुणवत्ता बढ़ती है।
- बकरे की चमड़ी का अधिक दाम मिलता है।
- बंध्याकृत नर झुंड से अलग नहीं भागते।



बाल अधिकार सप्ताह महोत्सव - 14 नवम्बर से 20 नवम्बर 2024



देश की कुल जनसंख्या में 40 प्रतिशत बच्चे हैं, समता और समानता के मद्देनजर वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बने सुरक्षा एवं विकास कार्यक्रमों के द्वारा सभी बच्चों के लिए अवसर, सुविधा और माहौल सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है जिससे उनका सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिगत विकास संभव हो सके।

भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद हैं जैसे 14,15, 15,(3), 19(1)(ए), 21, 21 (ए), 23 (1), 24, 39(इ), 39 (एफ), और 45 जिनका बच्चों के कल्याण और विकास से सीधा सम्बन्ध है। संयुक्त राष्ट्र के "सतत विकास लक्ष्य-SDG" में भी सभी बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना एवं उनकी रक्षा करने की बात की गयी है एवं यह कहा भी जाता है कि "सतत विकास लक्ष्य" को "बाल अधिकारों" की प्राप्ति के बिना प्राप्त कर पाना असंभव है।

देश की सामाजिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि को बनाए और बचाए रखने, बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाने और विकासशील देश से विकसित देश के क्रम में आने के लिए नव रचनात्मक सोच और तरीकों से काम किया जाना बेहतर उपाय हो सकता है ताकि सभी बच्चों का पूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके और बच्चे अपने जीवन का बेहतर तरीके से नेतृत्व करते हुए देश के उत्तम नागरिक की भूमिका में आ सकें।

भारत में बाल दिवस दिनांक 14 नवम्बर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस दिनांक 20 नवम्बर को पूरे विश्व में मनाया जाता है क्योंकि 20 नवंबर वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था एवं इसी दिन वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था।

बाल अधिकारों के बारे में बेहतर तरीके की सोच रखने वाले दुनियाभर के सबसे ज्यादा देशों ने मानवाधिकार संधि के रूप में "बाल अधिकार और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन" अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संरचना को अपनाकर प्रत्येक बच्चे से उसके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें पूरा करने का वादा किया था। इसलिए दिनांक 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर इस सप्ताह को "बाल अधिकार सप्ताह" के रूप में मनाया जाता है। इस संधि में एक गहन विचार निहित है कि "बाल्यावस्था वयस्कता से अलग है और जन्म लेने से 18 वर्ष की उम्र तक इसी अवस्था में रहता है। इस विशेष प्रकार से संरक्षित समय में, यह सुनिश्चित

करना जरूरी है कि बच्चे सम्मान के साथ जन्म लेने, खुशहाल जीवन जीने, सीखने, खेलने और जिम्मेदाराना भूमिका में विकसित होने की ओर अग्रसर होकर और स्वस्थ बचपन जी सकें चूँकि ये उनके अपने अधिकारों की श्रेणी में आते हैं"।

आदिवासी क्षेत्र और बाल अधिकारों की स्थिति
दक्षिणी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र और उससे सटा हुआ मध्यप्रदेश व गुजरात का हिस्सा जहाँ के आदिवासी क्षेत्र में आज भी बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। पूर्व से ही इन क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण एवं अति कुपोषण का प्रसार अधिक है एवं महामारी के चलते, बेरोजगारी में वृद्धि एवं परिवारों में उत्पन्न हुई खाद्य एवं पोषण असुरक्षा के कारण बच्चों का खान-पान ठीक से नहीं हो पाता और बच्चों में कुपोषण और अतिकुपोषण का स्तर अधिक बढ़ने की पूर्ण संभावना है।

विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शिक्षा, खेल-कूद, पोषाहार व्यवस्था एवं बच्चों के विकास हेतु आवश्यक अन्य गतिविधियाँ पूरी तरह से संचालित होना आवश्यक है। बच्चों के घर और परिवार के साथ एक सीमित दिनचर्या के तहत, एकाकी जीवन जीने एवं हम उम्र साथियों के साथ समय नहीं बिता पाने के कारण मानसिक रूप से नकारात्मक असर देखने को मिले हैं। अन्य रिश्तेदारों से मेल-जोल बढ़ाना, सामाजिक उत्सव में अपनी भागीदारी निभाना बच्चों के लिए



जीवन और विकास के साथ-साथ कौशल विकास के अवसर भी उपलब्ध करवाते हैं और परिणामतः बच्चे अपने अधिकारों को पूरी तरह से जी सकें।

यह तो सर्वविदित है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए अपने जीवन का नेतृत्व कर पाना, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पाना बहुत मुश्किलों से भरा होता है। आंकड़े बयान करते हैं कि देश में गरीबी का असर बच्चों के जीवन को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। "बाल विकास एवं

जीवन जीने का अधिकार	विकास का अधिकार
<p>अपने ही जीवन और अपनी ही शक्ति से आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करना और परिवार के साथ-साथ एक सुख-सुविधा भरा जीवन जीना।</p> <p>अपनी ही शक्ति से अपने ही जीवन में सुख-सुविधा और सुख-सुविधा का विकास करना।</p> <p>अपनी ही शक्ति से अपने ही जीवन में सुख-सुविधा और सुख-सुविधा का विकास करना।</p>	<p>अपने ही शक्ति से अपने ही जीवन में सुख-सुविधा और सुख-सुविधा का विकास करना।</p> <p>अपनी ही शक्ति से अपने ही जीवन में सुख-सुविधा और सुख-सुविधा का विकास करना।</p> <p>अपनी ही शक्ति से अपने ही जीवन में सुख-सुविधा और सुख-सुविधा का विकास करना।</p>
बाल अधिकार	
सुरक्षा व संरक्षण का अधिकार	सहभागिता/अभिव्यक्ति का अधिकार
<p>अपनी ही शक्ति से अपने ही जीवन में सुख-सुविधा और सुख-सुविधा का विकास करना।</p> <p>अपनी ही शक्ति से अपने ही जीवन में सुख-सुविधा और सुख-सुविधा का विकास करना।</p>	<p>अपनी ही शक्ति से अपने ही जीवन में सुख-सुविधा और सुख-सुविधा का विकास करना।</p> <p>अपनी ही शक्ति से अपने ही जीवन में सुख-सुविधा और सुख-सुविधा का विकास करना।</p>

बाल अधिकारों के संरक्षण" हेतु कानून में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को चार विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

* चूँकि आदिवासी क्षेत्रों में अधिकतम लघु एवं सीमांत कृषक परिवार हैं जो कि अपने क्षेत्र में संसाधनों की कमी के चलते आजीविका सुनिश्चित करने के लिए परिवार सहित पलायन करते हैं। पलायन का विपरीत प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है और बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जो कि बच्चों का जन्मजात अधिकार है। परिवार में गरीबी के कारण और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चे बालश्रम में भी लिप्त हो जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी के कारण हिंसा, बच्चों को बचपन से ही घरेलू कार्यों से जोड़ देना और कई जगहों पर घरों से विद्यालयों की दूरी आदि विभिन्न बाधाओं के कारण बालिकाएँ या तो शिक्षा से जुड़ ही नहीं पाती या फिर जल्द ही शिक्षा से छूट जाती हैं और बाल विवाह का शिकार हो जाती हैं।

* यह तभी संभव है जब विद्यालयों में बच्चों के लिए भयभीत करने वाले माहौल की बजाय खुलकर अपनी बात कहने के मौके हों और बच्चों द्वारा कही गयी बात को धैर्य के साथ सुनने और सुनकर रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा समस्याओं का मिलकर समाधान निकालने वाली सोच के साथ काम किये जाए। ये काम परिवार और ग्राम स्तर पर भी किये जाने की उतनी ही माँग करता है। * इसके लिए वयस्कों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को बेहतर माहौल और अवसर मिल पाना तय करें, बच्चों को बिना किसी भय के अपनी बात कहने यानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले और बच्चों की स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका के चलते समुदाय और समाज में भावी पीढ़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर दखल और संगठनों में उनकी शांतिपूर्ण सहभागिता को मजबूती मिल सके।

माता-पिता और समुदाय की भूमिका-

- माता-पिता की यह भूमिका है कि बच्चों की समस्याओं और उपलब्धियों को हमेशा और ध्यानपूर्वक सुनें।
- बच्चों के साथ हमेशा प्यार से बातचीत करें भय रहित माहौल होने से ही बच्चे अपनी बातों को खुलकर साझा कर सकेंगे, डर के माहौल में बच्चा चुपची साध लेता है और माता-पिता और बच्चों के बीच में संवादहीनता की स्थितियाँ बन जाती हैं जो कि ठीक नहीं है।
- बच्चों के साथ लम्बी बातचीत करें, बच्चों की कही बातों पर भरोसा करें और बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें।
- कई बार बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया जाता है या महत्व नहीं दिया जाता जो कि गलत है।
- किसी के भी साथ बच्चे को रूकने के लिए बाध्य न करें अगर बच्चा किसी रिश्तेदार के साथ भी रूकने के लिए मना करे परिवार को बच्चे की इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए।
- परिवार को यह बात अच्छे से समझे जाने की जरूरत है कि बच्चा कहीं भी सुरक्षित नहीं है वर्तमान में आंकड़े यह कहते हैं कि परिवार, जानकार और रिश्तेदार के साथ बच्चा सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है और सबसे ज्यादा हिंसा भी बच्चों के साथ परिवार और रिश्तेदारों के बीच होती है।
- आमतौर पर परिवार के लोग बच्चों (खासकर लड़कियों) को इसलिए घर से बाहर निकलने में पाबंदी लगाते हैं कि वे बाहर सुरक्षित नहीं हैं जबकि घरों में भी बच्चे असुरक्षित होते हैं अतः बच्चों के साथ बातचीत करते हुए बच्चों के आत्म विश्वास को बढ़ाने के लिए काम किये जाने की जरूरत होती है ताकि बच्चे बिना किसी भय और झिझक के बाहरी दुनिया में भी निकल सकें। परिवार की यह जिम्मेदारी है कि यौन हिंसा बचाए है, कैसे होती है इसके बारे में बच्चों के साथ विस्तार से बातचीत करें और यह भी बात करें कि इस तरह की चीजें होने पर डरें नहीं।
- परिवार को यह भी समझने की जरूरत है कि यौन हिंसा सिर्फ

लड़कियों के साथ नहीं वरन लड़के भी इसके शिकार होते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई घटना हो गयी है तो बिना डरे, बिना छुपाये उचित कार्यवाही करते हुए तुरंत पुलिस और कानून की मदद लेना तय करें।

विद्यालय की भूमिका-

- बच्चों के साथ नियमित रूप से बालसभा का आयोजन किया जाए जिसमें अलग-अलग गतिविधियों के तहत बच्चे मुख अभिव्यक्ति की ओर बढ़ सकेंगे और खुलकर विभिन्न मंचों पर अपनी बात रखने का आत्मविश्वास प्राप्त कर सकेंगे।
- समुदाय आधारित बाल सभा में विभिन्न गतिविधियों में भूमिका निभाने के अवसर सभी बच्चों के लिए सुनिश्चित किये जाने आवश्यक हैं।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति से जुड़े समुदाय के सदस्यों को खुलकर अपनी बात रखनी होगी बच्चों के विषयों पर
- विद्यालय स्तर पर बनी हुई जेंडर सेल के तहत समय-समय पर बच्चों में जागरूकता के उद्देश्य से गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि बच्चों के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के शोषण और अत्याचार की बच्चे पहचान करने लगे और अपने या किसी के भी साथ हो रहे लिंग आधारित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकें।

सरकार की भूमिका-

- विद्यालयों में "बाल सभा" आयोजित करने हेतु सरकार द्वारा दिशा-निर्देश बनाया जाये एवं उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- ग्राम सभा में बच्चों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को सम्मिलित किया जाये।
- पंचायत स्तर की बाल संरक्षण समिति को पुनर्जीवित करते हुए सक्रिय बनाने की आवश्यकता है।
- आदिवासी क्षेत्र में रोजगार हेतु परिवार के पलायन की स्थिति में बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं यदि उनके बच्चों के अनुपात में तय आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाये तो माता-पिता पलायन के समय अपने बच्चों को इन आवासीय विद्यालय से जोड़कर बच्चों का शिक्षा से जुड़ाव बनाये रख सकते हैं।



"बाल विकास एवं पोषण की नींव माता-पिता की संजीदगी और समर्पण पर निर्भर है"

माता-पिता बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। उनके द्वारा प्रदान किया गया मार्गदर्शन, समर्थन, और प्यार बच्चे के व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देता है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और विकास का आधार उनके परिवार और विशेषकर माता-पिता से ही मिलता है। पालन-पोषण एक ऐसा निरंतर चलने वाला दायित्व है, जो बच्चे के जन्म से लेकर वयस्क होने तक माता-पिता पर रहता है। इस लेख में, हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे माता-पिता बच्चों के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनकी भलाई सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर सकते हैं।

पालन-पोषण और बच्चे का विकास

माता-पिता का व्यवहार, उनके मूल्यों और उनके द्वारा सिखाए गए सबक बच्चों के संपूर्ण विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार



बच्चे अपने आस-पास की दुनिया से सीखते हैं, उसी प्रकार वे अपने माता-पिता के कार्यों, शब्दों और निर्णयों से भी सीखते हैं। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, "जैसा बाप वैसा बेटा," इसका तात्पर्य है कि बच्चों के विचार, व्यवहार और आदतें बहुत हद तक माता-पिता के उदाहरणों पर निर्भर होती हैं। बच्चे के विकास के लिए कोई एक विशेष दिशा नहीं होती, बल्कि यह विभिन्न क्षेत्रों का सम्मिश्रण होता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास, और आध्यात्मिक विकास। हर क्षेत्र में माता-पिता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

संज्ञानात्मक (सोचने की) विकास

बच्चों की संज्ञानात्मक विकास यानी उनके सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाने में माता-पिता का अहम योगदान होता है। बच्चे अपने माता-पिता से संवाद करते हुए नई बातें सीखते हैं और समस्याओं का हल निकालने की क्षमता विकसित करते हैं। जब माता-पिता अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें नए शब्द, विचार और जानकारी से अवगत कराते हैं, तो बच्चों का मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। इससे उनकी तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। सकारात्मक पालन-पोषण से बच्चों को आत्म-अनुशासन, समय प्रबंधन और समस्या-समाधान जैसे महत्वपूर्ण गुण सिखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, जब माता-पिता अपने बच्चों को किसी समस्या से निपटने का तरीका सिखाते हैं, तो बच्चा भविष्य में खुद निर्णय लेने

और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक विकास

बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में माता-पिता का व्यवहार, बातचीत और जीवन शैली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बच्चे अपने माता-पिता के साथ समय बिताते हुए सामाजिक नियम, नैतिकता और सांस्कृतिक परंपराएं सीखते हैं। माता-पिता का आपसी संवाद और परिवार के सदस्यों के बीच संवाद का तरीका बच्चों को टीम वर्क, सहयोग और मित्रता के महत्व को समझाता है। बच्चे अपने माता-पिता को देख कर ही सीखते हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे सुलझाना है, और दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक कैसे व्यवहार करना है। सामाजिक कौशल, जैसे कि दूसरों से कैसे मिलना-जुलना है, कैसे दोस्त बनाना है, और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, ये सभी माता-पिता के मार्गदर्शन से बच्चों में विकसित होते हैं।

शारीरिक विकास

माता-पिता अपने बच्चों के शारीरिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उचित परम्परागत आहार, व्यायाम और खेल आवश्यक होते हैं, और यह सब माता-पिता के मार्गदर्शन और समर्थन से ही संभव हो पाता है। जब माता-पिता अपने बच्चों को संतुलित आहार देते हैं, उनके खाने की आदतों पर ध्यान देते हैं और उन्हें खेलकूद के लिए प्रेरित करते हैं, तो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। इसके अलावा, शारीरिक गतिविधियाँ, जैसे दौड़ना, कूदना, और खेलना, बच्चों को शारीरिक विकास में सहायता मिलती हैं और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने में मदद मिलती हैं। स्वस्थ आदतों का पालन करने से बच्चे शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण चरणों को सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं।

मानसिक विकास

बच्चों के मानसिक विकास में माता-पिता का प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। माता-पिता से मिले रचनात्मक सुझाव और सलाह बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। बच्चे रचनात्मक सोच, अनुशासन और असफलता को स्वीकारने की क्षमता को माता-पिता से सीखते हैं। मानसिक विकास के अंतर्गत माता-पिता बच्चों को विभिन्न जीवन परिस्थितियों से निपटने के तरीके सिखाते हैं, जैसे कि कठिनाइयों का सामना करना, विफलता से सीखना और भावनाओं को संभालना। माता-पिता बच्चों को यह सिखा सकते हैं कि असफलताएँ जीवन का हिस्सा होती हैं और इनसे हताशा होने की बजाय उनसे सीखने की जरूरत होती है। यह बच्चों को जीवन में आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते है।

आध्यात्मिक विकास

माता-पिता बच्चों के आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों को नैतिकता, सहानुभूति और सही-गलत का फर्क सिखाते हैं। माता-पिता बच्चों को यह समझाने में मदद करते हैं कि जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और नैतिक मूल्यों का कितना महत्व है। साथ ही, बच्चों को स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिकता की खोज करने का

अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी धारणाओं और विश्वासों को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकें। माता-पिता को अपने विश्वास बच्चों पर थोपने के बजाय उन्हें अपनी विचारधारा को समझने और अपनाने का मौका देना चाहिए। इससे बच्चे नैतिक दृष्टि से सशक्त और आध्यात्मिक रूप से संतुलित होते हैं।

माता-पिता के लिए पालन-पोषण के सुझाव

सकारात्मक रहें - बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए माता-पिता का सकारात्मक रवैया आवश्यक होता है। बच्चों को समस्याओं का समाधान सकारात्मक दृष्टिकोण से करने की कला सिखाएं और उन्हें छोटे-छोटे कार्यों में शामिल करें, ताकि वे खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सकें।

उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें - बच्चों की छोटी से छोटी जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करें, ताकि बच्चे यह जान सकें कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद हैं।

भावनात्मक रूप से उपस्थित रहें - बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें यह दिखाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और हर परिस्थिति में उनका समर्थन करेंगे।

संचार प्रभावी ढंग से करें - बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें उनकी बात सुनें और बिना किसी पूर्वधारणा के उनका समर्थन करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया हमेशा नकारात्मक आलोचना से बेहतर होती है।

अच्छे उदाहरण पेश करें - माता-पिता बच्चों के आदर्श होते हैं। बच्चे वही करते हैं जो वे अपने माता-पिता को करते हुए देखते हैं। इसलिए, अपने व्यवहार में सकारात्मकता और अनुशासन को अपनाएं।

नियमित दिनचर्या बनाएं - खाने, सोने और खेलने की नियमित दिनचर्या बच्चों में अनुशासन और स्वस्थ आदतें विकसित करने में मदद करती है।

परिवार के लिए समय निकालें - बच्चों के साथ समय बिताना उनके भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से बच्चों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित होती है।

भरोसा और निष्पक्षता बनाएं - परिवार में सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें, ताकि बच्चे निष्पक्षता और सहानुभूति सीख सकें।

ईमानदारी का महत्व सिखाएं - बच्चों को सिखाएं कि जीवन में ईमानदारी और सत्यता का कितना महत्व है। ये मूल्य उनके जीवन को सफल और संतुलित बनाते हैं।

बिना शर्त प्यार और समर्थन दिखाएं - जब बच्चे असफल होते हैं या गलतियाँ करते हैं, तो उन्हें डांटने से पहले उनकी गलतियों को समझें और उन्हें सही मार्ग दिखाएं। यह सुनिश्चित करे कि आपका प्यार बिना शर्त है।

ग्राम स्तरीय स्थानीय संगठनों की भूमिका :-

बाल स्वराज समूह - बाल स्वराज समूह (BSS) बच्चों के समग्र विकास और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए मासिक बैठकों में

संवाद करें, उस दौरान माता-पिता की भूमिका पर आधारित सवालों पर बैठकों में समूह एवं बच्चों के माता-पिता के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, और मानसिक-सामाजिक विकास पर जोर देते हुए संवाद करें, ताकि समुदाय के अन्य बच्चों के पालन-पोषण में माता-पिता की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर जागरूक किया जा सके, ताकि समुदाय के सभी माता-पिता जागरूक हो और अपने बच्चों के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें। BSS बैठकों के माध्यम से, बच्चों के विकास में परिवारों के योगदान को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें सशक्त बनाने के प्रयास करें।

ग्राम स्वराज समूह - ग्राम स्वराज समूह (GSS) गाँव स्तर पर माता-पिता और समुदाय के साथ संवाद स्थापित करें, जिससे परिवारों में बच्चों की देखभाल, विकास और शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो। समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से बच्चों के मानसिक, शारीरिक, और सामाजिक विकास पर जागरूकता एवं पोषण से सम्बंधित संवाद करें ताकि समुदाय में बच्चों के विकास को लेकर सकारात्मक वातावरण तैयार हो सके। इसके साथ ही, ग्राम सभा और SMC बैठकों में बच्चों के विकास के महत्व और माता-पिता की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए सभी सदस्यों के साथ वाई पंच, सरपंच व अन्य व्यक्तियों को बताये ताकि, जिससे समुदाय



को बच्चों के उज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया जा सके।

सक्षम समूह - सक्षम समूह (SS) विशेष रूप से खेती बाड़ी, बच्चों के पोषण के लिए माता-पिता के साथ मिलकर नियमित संवाद करें, उन्हें बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों के बारे में बताएं एवं सदस्यों और समुदाय को अवगत करवाएं ताकि पोषण के साथ उनके विकास पर समुदाय ध्यान दे। समूह का उद्देश्य खेती बाड़ी, पोषण एवं स्वास्थ्य को लेकर नियमित संवाद के साथ समुदाय को प्रेरित करें, ताकि माता-पिता को अपने बच्चों की संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के तैयार हो सकें। माता-पिता को बैठकों में आमंत्रित कर उन्हें अपने बच्चों के लिए उनकी उपस्थिति और समय देना कितना आवश्यक है, इस बारे में संवाद करते हुए, उन्हें जिम्मेदारियों से अवगत करवाएं ताकि बच्चों के प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण किया जा सके।



कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन सहयोग इकाई की गतिविधियां

बाल स्वराज एवं ग्राम स्वराज समूह के माध्यम से बच्चों को मिला सहारा

धनपुरी गांव, कुशलगाढ़ ब्लॉक के उकाला ग्राम पंचायत का एक छोटा सा आदिवासी बहुल गांव है। यहां ज्यादातर परिवार कृषि आधारित होते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती और पलायन ही उनकी आजीविका के मुख्य साधन हैं। इसी गांव में सुशीला बारिया अपने दो बच्चों के साथ रहती हैं। उनका परिवार कई चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन बाल स्वराज समूह और ग्राम स्वराज समूह के साझा प्रयासों से उन्हें एक नई दिशा मिली।




सुशीला के पति, दीता बारिया, चार साल पहले बीमारी के कारण चल बसे थे। उनकी मृत्यु से पहले वे और उनकी पत्नी परिवार के भरण-पोषण के लिए बाहर पलायन करने को मजबूर थे। उनके पास खेती का कोई स्थायी साधन नहीं था, और गांव में रोजगार के सीमित विकल्प होने के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता था। दोनों के सामने मजदूरी और काम का संकट हमेशा बना रहता था, जिससे बच्चों की देखभाल करना और उन्हें शिक्षा दिलाना चुनौतीपूर्ण हो गया था। दीता बारिया को सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो गई, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। उनकी मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होने लगी।

इस दौरान वागधारा संस्था के सहजकर्ता जसू बारिया ने बाल स्वराज समूह और ग्राम स्वराज समूह के गठन की जिम्मेदारी दी गई। इस कार्य के अंतर्गत उन्होंने धनपुरी गांव में 20 बच्चों को चुनकर बाल स्वराज समूह का गठन किया। इस समूह में गणेश (15 वर्ष) और सोनल (9 वर्ष) को भी शामिल किया गया। गणेश दसवीं कक्षा में पढ़ता है, जबकि सोनल चौथी कक्षा में। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां, सुशीला, बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण के लिए संघर्ष कर रही थीं। सुशीला ने खेती की, लेकिन वर्षा आधारित खेती में उतनी पैदावार नहीं हो पाई कि सालभर का गुजारा हो सके।

बाल स्वराज समूह की बैठक के दौरान जसू बारिया ने इन बच्चों की स्थिति का अवलोकन किया और बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ने का प्रयास किया। इस योजना के अंतर्गत अनाथ या असहाय बच्चों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई और पालन-पोषण में कोई रुकावट न आए। बच्चों की स्थिति को देखते हुए जसू बारिया ने बच्चों के साथ गांव के ग्राम स्वराज समूह के सामने यह मुद्दा रखा और सभी ने निर्णय लिया कि

इन बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिलाया जाए। मुख्यमंत्री की महंगाई राहत योजना के तहत आयोजित शिविर में इन बच्चों को योजना से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उनके आधार कार्ड न होने के कारण योजना में उन्हें शामिल नहीं किया जा सका। इस पर ग्राम स्वराज के सदस्यों ने ग्राम पंचायत के सरपंच से संपर्क किया। सरपंच ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और तुरंत प्रभाव से ई-मित्र साथी को बुलाकर बच्चों के आधार कार्ड



बनवाए। इसके बाद पालनहार योजना के तहत उनके लिए आवेदन किया गया और उन्हें पीपीओ नंबर (PPO 14038477) जारी किया गया। इसके परिणामस्वरूप, अब उनकी मां के खाते में दो बच्चों की पालन-पोषण हेतु पालनहार की राशि प्रत्येक बच्चे को 2000/-रुपये नियमित रूप से आने लगे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में संस्था के सहजकर्ता जसू बारिया और दीपिका कटारा ने ग्राम स्वराज सदस्यों के साथ समय-समय पर परिवार की स्थिति का जायजा लिया और यह सुनिश्चित किया कि बच्चों को किसी भी योजना से वंचित न रहना पड़े। उनके समर्पण और ग्राम पंचायत के सहयोग से यह संभव हो पाया कि गणेश और सोनल दोनों फिर से स्कूल जाने लगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख पाए।

इस घटना ने गांव के अन्य परिवारों को भी प्रेरित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सामुदायिक समर्थन से मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी समाधान संभव है। बाल स्वराज समूह और ग्राम स्वराज समूह ने बच्चों और उनके परिवारों को न केवल आर्थिक सहारा दिया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर किया।

इस कार्य से यह स्पष्ट होता है कि समय रहते, यदि किसी जरूरतमंद परिवार की मदद की जाए, तो न केवल उस परिवार का भविष्य बेहतर हो सकता है, बल्कि वह समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। सुशीला और उनके बच्चों के जीवन में आए इस बदलाव के लिए वागधारा संस्था और ग्राम पंचायत के सभी सहयोगियों का योगदान सराहनीय है।

आज गणेश और सोनल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी आगे की शिक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं। परिवार ने वागधारा संस्था, ग्राम पंचायत, और सभी सहयोगियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया है।

संसा देवी का बकरी व्यापार - आजीविका का नया द्वार

दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा संभाग में आनंदपुरी ब्लॉक के मेनापादर गांव की रहने वाली हैं, मैं आदिवासी समुदाय से आती हूँ। मेरा जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा। मैंने न केवल अपने जीवन की कहानी को बदला है, बल्कि अपने पूरे समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मेरे जीवन की यात्रा संघर्ष भरी रही और उम्मीद और मेहनत से अपने परिवार को विकट परिस्थितियों से बाहर निकाला।

मेरी उम्र 30 वर्ष की है और मेरे पति का नाम शान्तिलाल है, हम 5 बीघा कृषि भूमि पर खेती करते हैं। खेती करने के साथ ही अपने परिवार की आजीविका बढ़ाने के लिए मैंने बकरी पालन का निर्णय लिया। उस समय इस निर्णय के पीछे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की चाहत थी। हालांकि, बकरी पालन में शुरुआती अनुभव कठिन रहे। हम दोनों पति-पत्नी के पास उचित बकरी प्रबंधन की जानकारी नहीं थी, जिससे हमें न केवल आमदनी में कमी का सामना करना पड़ा, बल्कि बकरियों की बीमारी और मृत्यु दर ने हमारे प्रयासों को और भी मुश्किल बना दिया। हमने बकरी पालन के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। उस समय हमारे पास बकरियों की देखभाल करने के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी नहीं थी। बकरियों के लिए उचित आहार, स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, और प्रजनन के लिए सही प्रबंधन के बारे में अनजान थे।



इस स्थिति ने हमें निराश किया, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले थे। मुझे अपने परिवार में भविष्य लिए कुछ करने चाहती थीं। यही वह समय था जब मेरा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया। वर्ष 2018 में, जब मैंने वागधारा द्वारा संचालित महिला सक्षम समूह में शामिल होने का निर्णय लिया, तब मेरे जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। जब मैं सक्षम समूह में शामिल हुई यह समूह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की पहचान दिलाने का कार्य करता है। कांता डामोर, जो वागधारा की सहजकर्ता हैं, उन्होंने मुझे इस समूह के फायदे और उसमें शामिल होने की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि कैसे यह समूह मुझे न केवल अपनी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।

महिला सक्षम समूह में शामिल होने के बाद, मैं मासिक बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होने लगी। इस समूह ने न केवल मुझे

वर्ष 2018 में, जब मैंने वागधारा द्वारा संचालित महिला सक्षम समूह में शामिल होने का निर्णय लिया, तब मेरे जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। जब मैं सक्षम समूह में शामिल हुई यह समूह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की पहचान दिलाने का कार्य करता है। कांता डामोर, जो वागधारा की सहजकर्ता हैं, उन्होंने मुझे इस समूह के फायदे और उसमें शामिल होने की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि कैसे यह समूह मुझे न केवल अपनी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।

महिला सक्षम समूह में शामिल होने के बाद, मैं मासिक बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होने लगी। इस समूह ने न केवल मुझे



बकरी पालन के तकनीकी पहलुओं के बारे में सिखाया, बल्कि आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाया। वागधारा द्वारा आयोजित उन्नत बकरी पालन प्रशिक्षण के भाग लेकर बकरी पालन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा। प्रशिक्षण के दौरान, बकरियों के स्वास्थ्य, पोषण, आवास और प्रजनन प्रबंधन के बारे में गहराई से समझाया गया। बकरियों को स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार, समय पर टीकाकरण, और साफ-सफाई कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, बकरियों के लिए उचित आवास का प्रबंधन कैसे करना है, यह भी सिखाया गया।

मैंने अपनी सीख को बकरी पालन में लागू करना शुरू किया। बकरियों के आवास को सुधारकर उसे साफ और हवादार बनाया, जिससे बकरियों की बीमारियों में कमी आई। पहले जो बकरियां बीमार हो जाती थीं, अब उनमें बीमारी की दर में कमी होने लगी। संतुलित आहार की व्यवस्था की, जिसमें हरी घास, दाने और खनिज तत्व शामिल किए। नियमित रूप से बकरियों का टीकाकरण और चिकित्सा जांच करवाना भी शुरू किया। यह प्रयास जल्द ही रंग लाने लगा। बकरियों की उत्पादकता में सुधार होने लगा और बीमारियों की दर में तेजी से गिरावट आई।

पहले की 5 बकरियों की संख्या अब बढ़कर 20 हो गई। आमदनी में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। अब सालाना लगभग पचास हजार रुपये कमा रही हूँ, जो हमारे परिवार के लिए एक स्थायी आय का स्रोत बन गया। इस सफलता ने मुझे और मेरे परिवार को आत्मविश्वास से भर दिया। मैं अब अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और अधिक निवेश करने के लिए उत्सुक हो गई। बकरियों के व्यापार को केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार का एक माध्यम बना लिया।

अब केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करती हूँ। अपने अनुभवों और ज्ञान को अन्य महिलाओं के साथ साझा करती हूँ और सक्षम समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित करती रहती हूँ। इस तरह, अपने समुदाय में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हूँ।

मैं अब बेसिक स्कूल सर्टिफिकेट (STC) कोर्स कर रही हूँ और आगे अध्यापक बनने का इरादा रखती हूँ। मेरा यह निर्णय न केवल मेरे लिए, बल्कि मेरे बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है। अगर कोई महिला सही दिशा में कदम बढ़ाए, तो वह अपने परिवार को संवल प्रदान कर सकती है और अपने समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और सामुदायिक सहयोग से महिलाएं अपनी स्थिति को सुधार सकती हैं। मेरे अनुभवों से मैंने यह सिखा कि कैसे महिलाएं एक-दूसरे का साथ देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं।

मेरी यात्रा आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास में भी निहित है। मैं वागधारा संस्था का धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे और मेरे परिवार को एक नई दिशा दी है।



मिनाक्षी देवी ने मेहनत से बदली किरमत्त

नाम :- मिनाक्षी देवी

पति का नाम :- प्रकाश

उम्र :- 34 / शिक्षा :- BA, Bed.

कार्य :- खेती- बाड़ी

पशुधन :- 2 भैंस, 2 बैल, 3 बकरियां

गाँव :- कुण्डला / ग्राम पंचायत :- डिंडोरिया

ब्लॉक :- घाटोल / जिला :- बांसवाड़ा

बांसवाड़ा जिला कार्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में बसा हुआ गांव कुण्डला जो कि एक पूर्ण तरह से चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां के अधिकतर लोग जिले से बाहर जाकर मजदूरी का कार्य करते हैं। इस गांव में रहने वाली मिनाक्षी देवी जो आदिवासी परिवार से है आज गांव के लिए उदाहरण बनी हुई है :

प्रारम्भिक स्थिति :- मिनाक्षी देवी और इनके पति दोनों ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर रखी है, शुरुआत में वे दोनों अन्य लोगों की तरह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। काफी प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी में चयन नहीं हुआ तो इससे निराश होकर दोनों ने मजदूरी कार्य करने का मन बनाया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी ऐसी कोई मजदूरी नहीं मिली जिससे इनका परिवार अच्छी स्थिति में आ सके। मिनाक्षी ने अपने पति से बात की और गांव में से किसी साहूकार से पैसे उधार लेकर एक छोटी सी किराणे की दुकान अपने ही गांव में खोली। किराणा दुकान से कभी कभार आमदनी होने लगी, लेकिन परिवार में 11 सदस्य होने के कारण दुकान से परिवार का पालन-पोषण सही से नहीं हो पा रहा था, कई बार दुकान का सामान भी खत्म हो जाता और सामान लाने के पैसे भी पर्याप्त नहीं होते थे।

परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं लग रहा था, दोनों पति पत्नी ने काफी प्रयास किया लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। इस दौरान वागधारा संस्थान से सहजकर्ता साथी गांव में सक्षम समूह का गठन करने के लिए नियमित बैठकों का आयोजन कर रहे थे। पढ़ी-लिखी होने के नाते मिनाक्षी देवी भी इस बैठक में शामिल होने पहुंच गईं। मिनाक्षी देवी बैठक में बताई जा रही बातें ध्यान से सुन रही थी जिसमें संस्था के कार्मिक द्वारा सच्ची खेती, सच्चा बचपन एवं सच्चा स्वराज को लेकर सवाद हो रहा था। इस बैठक के बाद संस्था सहजकर्ता साथी द्वारा सदस्यों का चयन किया गया। मिनाक्षी देवी ने भी अपना नाम सदस्य सूची में दर्ज कराया।

मिनाक्षी देवी पढ़ी-लिखी होने के कारण समूह के सदस्यों द्वारा सक्षम समूह में अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी दी गयी। इसी दौरान संस्था के द्वारा खरीफ की फसल के लिए सब्जियों के बीज लोगों को वितरित किए गए, जिसमें भिंडी, टमाटर, मिर्ची, चवला, बैंगन आदि के बीज शामिल थे। मिनाक्षी को भी अलग-अलग प्रकार के बीज दिए गए इन बीजों को अपने खेत में बुवाई की और खाने जितना उत्पादन हुआ, जिसमें भिन्डी की फसल काफी अच्छी हुई। मिनाक्षी ने भिन्डी के बीज को संरक्षित कर अगले वर्ष बुवाई में उपयोग में लेने का निश्चय किया। संस्था के द्वारा समय-समय पर दिए गये प्रशिक्षणों से सिख कर नीम आधारित दवाई बनाकर

उगाई गयी सब्जियों पर छिड़काव करने से कई बीमारियों से बचाया और साथ ही अन्य खर्च में भी कटौती हुई। करीब डेढ़ महीने बाद खेत में भिंडी की सब्जी की शुरुआत हुई। मिनाक्षी देवी एवं इनके पति ने अपने खेत की भिंडी को गाँवों में बेचना शुरू किया इससे परिवार में आमदनी आने की शुरुआत हुई, आमदनी से घर खर्च चलने लगा तो मिनाक्षी ने दुगुनी मेहनत शुरू की और समय-समय पर देखभाल करने से धीरे-धीरे भिंडी की पैदावार बढ़ने लगी और इससे अच्छी आमदनी होने लगी। इस आमदनी से किराणे की दुकान पर भी सामान समय से आने लगा, साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होने लगा। इस दौरान मिनाक्षी देवी ने भिंडी गांव-गाँव में जाकर बेचने के साथ ही निश्चय किया की शेष बची हुई भिंडी को घाटोल बाजार में बेचना शुरू किया, तो दिनभर में 1200 से 1500 सो रुपए की आमदनी होने लगी। इससे परिवार का खर्च एवं बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आसानी से चलने लगा और लगभग 3 महीने में 100000 रुपये की भिंडी बेच दी गयी, जिससे परिवार की स्थिति आर्थिक स्थिति में कुछ राहत महसूस होने लगी। मिनाक्षी देवी से प्रभावित होकर गांव की अन्य महिलाएं जो कि समूह से जुड़ी हुई थी उन्होंने भी सब्जी लगाने का निश्चय किया। इस दौरान मिनाक्षी देवी सभी समूह की महिलाओं की सहायता करती एवं उनको अलग-अलग प्रकार की जानकारियां समय-समय पर देती, मिनाक्षी देलवाड़ा लोकिया ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बन गई साथ ही सभी महिलाएं मिनाक्षी को अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगीं। तब से लेकर अब तक मिनाक्षी देवी अलग-अलग प्रकार की सब्जियां अपने खेत में लगाती है और उससे अच्छी आमदनी हो जाती है। अगर इस पहल का बदलाव देखा जाए तो मिनाक्षी देवी का परिवार अच्छी तरह से जीवन यापन करने लगा साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। मिनाक्षी देवी ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया।

वागधारा संस्थान ने भी समय-समय पर समूह की सभी महिलाओं को प्रशिक्षित किया और जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जिसके कारण आज गांव के एक दर्जन से ज्यादा परिवारों में बदलाव आया है। इन परिवारों के अलावा भी अन्य परिवार सब्जियां एवं खेती के तौर-तरीकों में बदलाव कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इस सफलता का श्रेय मिनाक्षी देवी एवं समूह की महिलाएं वागधारा संस्था के सहजकर्ता के साथ ही संस्था को इसका सूत्रधार मानती है।

मिनाक्षी देवी का कहना है कि मेहनत के साथ ही अच्छा मार्गदर्शन मिले तो जीवन में बदलाव सुनिश्चित है।



वाहन चलाते समय हेल्मेट उपयोग करने के साथ गाड़ी की स्पीड कम ही रखें... क्योंकि परिवार आपकी प्रतिक्षा में है.....



आदिवासी समुदाय में शस्त्र परंपरा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

आदिवासी समुदाय में विशेषकर भील समुदाय का इतिहास अत्यधिक समृद्ध और विविध है। इनके जीवन में शस्त्रों का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये शस्त्र केवल आत्मरक्षा और सुरक्षा के साधन नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक जीवन, रीति-रिवाजों और आजीविका से भी गहराई के साथ जुड़े हुए थे। आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान पर निर्भर रहते थे। शस्त्र न केवल वन्य जीवों और बाहरी खतरों से रक्षा करते थे, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा भी थे।

आदिवासी समाज में तलवार, गोफन, बंदूक, तीर-कमान, धारिया, छुरा और भाला जैसे पारंपरिक शस्त्रों का उपयोग प्रमुखता से होता था। ये शस्त्र न केवल व्यक्तिगत रक्षा के साधन थे, बल्कि सामूहिक सुरक्षा के लिए भी अत्यधिक उपयोगी थे। उदाहरण के लिए तीर-कमान का उपयोग वन्य जीवों के शिकार के लिए किया जाता था, जो आदिवासियों के भोजन का प्रमुख स्रोत था। इस प्रकार, शस्त्रों का उपयोग उनके जीवन-यापन के तरीके का अभिन्न हिस्सा था। आदिवासी शस्त्रों का निर्माण और उनका उपयोग सामुदायिक कौशल और कारीगरी का परिणाम था। इन शस्त्रों का निर्माण अत्यंत शिल्पकारी तरीके से किया जाता था, जिसमें हर हथियार के निर्माण में विशेष सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग होता था। तलवार और भाले जैसे हथियार आदिवासी कारीगरों की विशिष्ट कला और तकनीकी दक्षता को दर्शाते थे। उनके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और निर्माण प्रक्रिया अद्वितीय होती थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी।

1. **तलवार:** आदिवासी समुदाय में तलवार को प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। यह मुख्यतः लंबी, धारदार और मजबूत धातु से बनी होती थी और इसकी तीव्र धार दुश्मनों को आसानी से मात देने में सक्षम थी। तलवार के विभिन्न प्रकार होते थे और वे समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती थीं। तलवार न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, जहां इसे सामूहिक शक्ति और एकता के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था। तलवार आदिवासी समाज में शक्ति और वीरता का प्रतीक रही है। आदिवासी योद्धा इसे अपने कम्मर पर बांधकर रखते थे। तलवार का उपयोग युद्ध में प्रविष्टि से लड़ने के लिए किया जाता था। इसके अलावा, कई आदिवासी समुदायों में तलवार को पूजनीय माना जाता था और विशेष अवसरों पर इसकी पूजा की जाती थी। तलवार आदिवासी समाज में एक प्रमुख हथियार के रूप में प्रयोग की जाती रही है। इस शस्त्र का उपयोग आत्मरक्षा, युद्ध और कभी-कभी शिकार के लिए भी किया जाता था और शादी-ब्याह में दूल्हा तलवार का पूजन करता है।

2. **गोफन:** आदिवासी समुदाय में गोफन एक सरल लेकिन प्रभावी हथियार रहा है। यह चमड़े या रस्सी से बना होता है, जिसमें एक छोटा सा गड्ढा होता था, जहां पत्थर या धातु की गोली रखी जाती थी। गोफन को घुमाकर बड़ी तेजी और सटीकता से निशाना लगाया जाता था। आदिवासी समाज में इसका उपयोग मुख्य रूप से शिकार के लिए किया जाता था, लेकिन युद्ध में भी इसका प्रयोग होता था। गोफन एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी हथियार है, जिसका इस्तेमाल आदिवासी समाजों द्वारा हजारों वर्षों से किया जा रहा है। यह मुख्यतः पत्थर या अन्य छोटे और कठोर वस्तुओं को दूर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गोफन आदिवासी समाज के लिए शिकार का एक महत्वपूर्ण साधन था, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां शिकारियों को छोटी दूरी से जानवरों को मारने की जरूरत होती थी। इस हथियार का इस्तेमाल कुछ खास प्रकार की लड़ाइयों में भी किया गया, जहां दूरी से हमले किए जा सकते थे। अब गोफन का उपयोग खेतों में फसल की रखवाली के लिए करते हैं।

3. **बंदूक:** आदिवासी क्षेत्रों में बंदूक का उपयोग मुख्य रूप से शिकार और आत्मरक्षा के लिए किया जाता था। आधुनिक युग में बंदूक का प्रवेश आदिवासी समाजों में विशेष रूप से ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान हुआ। इससे पहले आदिवासी समाज मुख्यतः तीर-कमान और अन्य पारंपरिक शस्त्रों पर निर्भर था। हालांकि, बंदूक ने उनके शस्त्रागार में एक नई शक्ति जोड़ दी। बंदूक का उपयोग मुख्यतः शिकार के लिए किया गया, लेकिन धीरे-धीरे इसे आत्मरक्षा और सामाजिक संघर्षों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। कुछ क्षेत्रों में, बंदूक का उपयोग आज भी जंगलों में शिकार के लिए किया जाता है, जब समुदाय में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बंदूक का उपयोग करते हैं और यह आदिवासी पुरुषों के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बन गई है।

4. **तीर-कमान:** तीर-कमान आदिवासी समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शस्त्र रहा है। कमान लचीली लकड़ी से बनाया जाता था, जबकि तीर के लिए सीधी और मजबूत लकड़ी का उपयोग किया



जाता था। तीर के सिरे पर धातु या पत्थर की नोकदार टिप लगाई जाती थी। तीर-कमान का उपयोग शिकार, युद्ध और कभी-कभी खेल प्रतियोगिताओं में भी किया जाता था। कई आदिवासी समुदायों में तीर-कमान को विशेष शक्तियों से युक्त माना जाता था और इसे पवित्र स्थान पर रखा जाता था। तीर-कमान आदिवासी समाजों का सबसे प्राचीन और प्रभावी हथियार रहा है। यह न केवल शिकार के लिए बल्कि युद्ध और सुरक्षा के लिए भी आदिवासी जीवन का अभिन्न अंग था। तीर-कमान की विशेषता यह है कि इसे दूर से चलाया जा सकता है और यह न केवल छोटे जानवरों बल्कि बड़े शिकार को भी आसानी से गिरा सकता है। आदिवासी तीरंदाजी की कला में पारंगत होते थे और यह उनकी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीर-कमान का निर्माण बांस, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से किया जाता था, और तीरों को विष से लैस कर उन्हें और अधिक घातक बनाया जाता था।

5. **धारिया:** धारिया एक प्रकार का कुल्हाड़ीनुमा हथियार है जो विशेष रूप से आदिवासी समुदायों में प्रचलित था। इसमें एक लंबा हैंडल होता था जिसके सिरे पर धारदार धातु का फलक लगा होता है। धारिया का उपयोग न केवल हथियार के रूप में किया जाता था, बल्कि यह एक उपयोगी उपकरण भी था जिसका इस्तेमाल लकड़ी काटने और अन्य दैनिक कार्यों में किया जाता था। धारिया एक प्रकार का बड़ा चाकू या कुल्हाड़ी होती है, जिसका उपयोग मुख्यतः जंगल की सफाई, लकड़ी काटने और शिकार के लिए किया जाता था। धारिया का आदिवासी समाज में बहुत महत्व है क्योंकि यह उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। यह न केवल एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल होती थी, बल्कि कृषि कार्यों और अन्य घरेलू कार्यों में भी सहायक होती थी। धारिया की तीक्ष्णता और इसकी बनावट इसे एक प्रभावी और बहुउद्देश्यीय उपकरण बनाती है।

6. **छुरा:** छुरा या चाकू आदिवासी समाज में बहुउपयोगी उपकरण था। यह छोटा और हल्का होता था, जिसे आसानी से ले जाया जा सकता था। छुरे का उपयोग शिकार के दौरान जानवरों की खाल उतारने, भोजन तैयार करने और कभी-कभी आत्मरक्षा के लिए भी किया जाता था। कुछ आदिवासी समुदायों में विशेष अवसरों पर सजावटी छुरों का भी प्रयोग होता था। छुरा एक छोटा, तीक्ष्ण चाकू होता है, जिसका उपयोग युद्ध, आत्मरक्षा और दैनिक कार्यों में किया जाता था। आदिवासी समाज में छुरा का उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किया जाता था, और इसे आसानी से छुपाया जा सकता था, जिससे यह एक सुविधाजनक हथियार था। शिकार के दौरान भी छुरा एक सहायक उपकरण के रूप में काम आता था। आदिवासी योद्धा इसे हमेशा अपने

साथ रखते थे, जो उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल का प्रतीक था।

7. **भाला:** भाला एक लंबा शस्त्र था जिसमें लकड़ी का डंडा होता था और उसके सिरे पर धातु की नोकदार टिप लगी होती थी। भाले का उपयोग दूर से वार करने के लिए किया जाता था। यह शिकार और युद्ध दोनों में उपयोगी था। कुछ आदिवासी समुदायों में भाले को देवी-देवताओं का प्रतीक माना जाता था और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष महत्व था। भाला एक लंबा हथियार होता है, जिसका एक सिरे पर तीखा ब्लेड होता है। यह हथियार विशेष रूप से बड़े जानवरों को मारने के लिए उपयुक्त होता था, क्योंकि इसकी लंबाई और तीखापन इसे दूर से इस्तेमाल करने में मदद करता था। भाला आदिवासी योद्धाओं के लिए एक प्रमुख हथियार था और यह उनके परंपरागत युद्ध कौशल का प्रतीक था। भाला का इस्तेमाल सामाजिक समारोहों और उत्सवों में भी किया जाता था, जहां इसे शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता था। शस्त्र त्योहारों, अनुष्ठानों और सामूहिक आयोजनों का भी हिस्सा थे। उदाहरण स्वरूप, शिकार का आयोजन आदिवासी समाज के विभिन्न अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसके अलावा, इन शस्त्रों का उपयोग सामूहिक सुरक्षा के लिए भी किया जाता था, जिससे समाज में एकजुटता और संगठन शक्ति का परिचय मिलता था। शस्त्रों की यह परंपरा आदिवासियों की सामूहिक पहचान और गौरव से जुड़ी हुई थी।

आधुनिकता और तकनीकी प्रगति का प्रभाव - हाल के दशकों में, आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास ने आदिवासी समुदाय की पारंपरिक जीवनशैली पर गहरा प्रभाव डाला है। नई तकनीकों और शहरीकरण के कारण अब युवा पीढ़ी परंपरागत शस्त्रों और उनके महत्व से दूर होती जा रही है। आधुनिकता की ओर आकर्षण और पारंपरिक जीवनशैली में गिरावट ने आदिवासियों के शस्त्रों के उपयोग को सीमित कर दिया है। जहां एक समय तीर-कमान, भाले और धारिया जीवन का अनिवार्य हिस्सा थे, वहीं अब इनकी जगह आधुनिक उपकरणों ने ले ली है। इसके अलावा, आर्थिक और सामाजिक बदलावों के कारण आदिवासी समुदायों में शिकार और वन संसाधनों पर निर्भरता घट गई है। वन संसाधनों के सिमटने और शिकार पर लगे सरकारी प्रतिबंधों ने भी आदिवासियों की पारंपरिक जीवनशैली को प्रभावित किया है। अब तीर-कमान, धारिया और भाले का उपयोग केवल अनुष्ठानों और सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित रह गया है।

सांस्कृतिक पहचान और परंपरा पर मंडराता खतरा - आधुनिक शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों ने आदिवासी समुदायों की जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है। युवा पीढ़ी अब परंपरागत शस्त्रों के उपयोग में रुचि नहीं दिखा रही है। यह बदलाव उनकी सांस्कृतिक पहचान पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। शस्त्रों से जुड़ी उनकी परंपराएं, रीति-रिवाज और त्योहार धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। आदिवासी समुदायों की शस्त्र परंपरा केवल उनके अस्तित्व का साधन नहीं है, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। जब ये शस्त्र समाप्त हो रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ी सांस्कृतिक धरोहर भी खोती जा रही है। यह केवल शस्त्रों का अंत नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज की सामूहिक पहचान पर भी खतरा मंडरा रहा है। पारंपरिक शस्त्रों का संरक्षण और पुनर्जीवन- इस संकट से निपटने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ताकि आदिवासी समुदायों की इस अनमोल धरोहर को संरक्षित किया जा सके:

• शिक्षा और जागरूकता युवा पीढ़ी को परंपरागत शस्त्रों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें यह बताया जा सकता है कि ये शस्त्र केवल आत्मरक्षा के साधन नहीं हैं, बल्कि उनके इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं।

• **सांस्कृतिक संरक्षण** - सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर आदिवासी समुदायों में शस्त्र संरक्षण कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक शस्त्रों के निर्माण और उपयोग को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके लिए सरकारी अनुदान, तकनीकी सहायता और सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता होगी।

• **सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन** - आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जा सकता है, जिनमें पारंपरिक शस्त्रों की प्रदर्शनी और उनके उपयोग के कार्यक्रम शामिल हों। इससे युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा और वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति गर्व महसूस करेंगे।

• **शोध और दस्तावेजीकरण** - परंपरागत शस्त्रों के निर्माण और उपयोग पर शोध करना और उसे दस्तावेजित करना आवश्यक है। इससे आने वाली पीढ़ियों को उनके पूर्वजों के ज्ञान और कौशल को समझने में मदद मिलेगी। शोध के आधार पर शस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया को संरक्षित किया जा सकता है और इन्हें संग्रहालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

• **सामुदायिक सहभागिता और नेतृत्व** - आदिवासी समुदाय के बुजुर्गों और नेताओं की भागीदारी इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। वे अपनी अगली पीढ़ियों को पारंपरिक ज्ञान और शिल्प कौशल सिखा सकते हैं। सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से इन परंपराओं को जीवित रखा जा सकता है और सामुदायिक गर्व को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आदिवासी समुदायों की शस्त्र परंपरा उनकी सांस्कृतिक धरोहर और सामूहिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे संरक्षित करना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ा जा सके। आधुनिकता और तकनीकी विकास के बावजूद, पारंपरिक शस्त्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता और बढ़ गई है। आदिवासी समाज में पारंपरिक शस्त्रों का महत्व केवल उनके प्रयोगात्मक उपयोग तक सीमित नहीं था। ये शस्त्र उनकी संस्कृति, परंपराओं और जीवन दर्शन का अभिन्न अंग थे। आज के बदलते परिदृश्य में, इन शस्त्रों का संरक्षण और उनके ज्ञान का प्रसार आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

आदिवासी समाज में पारंपरिक शस्त्रों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी अत्यधिक होता था। इन शस्त्रों को केवल युद्ध या शिकार के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक परंपराओं में भी उपयोग किया जाता था। कई आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक शस्त्रों की पूजा करते थे, उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त धरोहर मानते थे और खास अवसरों पर उनका प्रदर्शन करते थे। इन शस्त्रों का उपयोग पारंपरिक नृत्यों, उत्सवों और अनुष्ठानों में किया जाता था, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और भी मजबूत होती थी। समय के साथ, आदिवासी समाज में पारंपरिक शस्त्रों का स्थान धीरे-धीरे आधुनिक हथियारों ने ले लिया है। फिर भी, कुछ आदिवासी समुदायों में आज भी पारंपरिक शस्त्रों का उपयोग और सम्मान कायम है। इन शस्त्रों का न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बने हुए हैं। आधुनिक तकनीक और शस्त्रों के बावजूद, आदिवासी समाज के कुछ हिस्से आज भी अपने पारंपरिक शस्त्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जो उनकी विरासत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। आदिवासी समाज में तलवार, गोफन, बंदूक, तीर-कमान, धारिया, छुरा और भाला जैसे शस्त्र न केवल उनकी सुरक्षा और आत्मरक्षा के साधन थे, बल्कि यह उनके सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा थे। ये शस्त्र उनके साहस, आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनके गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। आदिवासी समाज की परंपराएं और उनके शस्त्र उनके अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों को समझाने की आवश्यकता है। संगठन और समुदाय को मिलकर इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है ताकि आदिवासी समुदायों की यह अनमोल धरोहर समय के साथ समाप्त न हो। शस्त्रों की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे, जिससे आदिवासी समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान और गौरव को बनाए रख सके।

जल का सही प्रबंधन ही जल स्वराज की ओर बढ़ने का रास्ता

जल जीवन का मूलभूत तत्व है। यह पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। हालांकि, बढ़ती जनसंख्या और अनियंत्रित विकास के कारण, पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। इस परिस्थिति में, बारिश के पानी का सही प्रबंधन और जल स्वराज जैसी अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जल के मामले में भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। फिर भी पानी की कमी से एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में, यह संकट केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, और प्राकृतिक एवं कृत्रिम जल संसाधनों पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा, जल स्रोतों में बढ़ते प्रदूषण, घटती सिंचाई क्षमता और जलवायु परिवर्तन का खतरा भी नीति निर्माताओं और समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। वृक्ष या पेड़-पौधे जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं और वर्षा जल को भूमि में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जल-स्वराज के तहत वृक्षारोपण और वन संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। इससे जल का संरक्षण बेहतर तरीके से होता है और सूखे की समस्या से निपटने में मदद मिलती है। जल का सही प्रबंधन जल स्वराज की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह समाज को जल के प्रति जिम्मेदार बनाता है और प्राकृतिक संसाधनों का सतत और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करता है। जल संकट से निपटने के लिए सरकार, समाज

और व्यक्तिगत स्तर पर संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। हमें जल को केवल एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता मानकर उसका संरक्षण करना चाहिए। जल स्वराज का लक्ष्य सभी पूरा हो सकता है जब हम जल का सही प्रबंधन कर सकें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका सतत उपयोग सुनिश्चित कर सकें। निष्कर्षतः पानी का सही प्रबंधन जल-स्वराज की ओर बढ़ने का

एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रौद्योगिकी, नीति, समुदाय की भागीदारी, और व्यक्तिगत जागरूकता का समन्वय आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि जल संरक्षण केवल सरकार या किसी विशेष संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। जब हम सभी इस दिशा में मिलकर काम करेंगे, तभी हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे जहां हर किसी के लिए

पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। जल-स्वराज की यह यात्रा न केवल पानी के बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाएगी, बल्कि यह समुदायों को सशक्त बनाए, पर्यावरण संरक्षण, और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।



चित्र 1 : टिकाऊ बहु-आयामी जल प्रबंधन में प्रमुख हस्तक्षेप

वागड रेडियो 90.8 FM
वागधारा, कुपड़ा



अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें-
वागड रेडियो 90.8 FM, मुकाम-पोस्ट कुपड़ा, वागधारा केम्पस, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
फोन नम्बर है - 9460051234 ई-मेल आईडी -radlo@vaagdhara.org

यह
“वार्ता वागधारा नी”
केवल
आंतरिक
प्रसारण है।